बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा-67 की उपधारा-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल ने इस राज्य में परिचालित किये जाने वाले ऑटो रिक्शा, टेम्पू(विक्रम), मोटर कैब एवं मैक्सी कैब चार पहिया वाहन के भाड़े से संबंधित अधिसूचना संख्या-पी.एस.आर.-15531 दिनांक 28.09.1992 द्वारा निर्धारित दर में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।

2. राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में राज्य परिवहन प्राधिकार एवं सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार निम्नांकित निर्धारित शर्तों के साथ ऑटो रिक्शा, टेम्पू(विक्रम), मोटर कैब एवं मैक्सी कैब चार पहिया वाहन के भाड़े की दर नगरीय/उपनगरीय क्षेत्र के लिए निम्न प्रकार से निर्धारित करेंगे ।

क्रमांक	गाड़ी का प्रकार	भाड़े की दर	अभियुक्ति
1	ऑटो रिक्शा (पेट्रोल चालित)	(i) मीटर ऑटो/कन्ट्रैक्ट प्रथम दो किलोमीटर तक के लिए रू. 15/- (पंद्रह रूपये) एवं अनुवर्ती प्रति कि.मी. रू. 7.5/-(सात रूपये पचास पैसे) (ii) शेयर्ड ऑटो (बैठान क्षमता 1+3) प्रथम दो कि.मी. के लिए रू. 4/- (चार रूपये) प्रति व्यक्ति पति कि.मी. एवं अनुवर्ती प्रति कि.मी. के लिए प्रति व्यक्ति रू. 2.5/-(दो रूपये पचास पैसे)	
2	ऑटो रिक्शा (डीजल चालित)	(i) मीटर ऑटो/कन्ट्रैक्ट प्रथम दो किलोमीटर तक के लिए रू. 12/-(बारह रूपये) (बैठान क्षमता 1+3) एवं अनुवर्ती प्रति कि. मी. रू. 6/-(छः रूपये), प्रथम दो किलोमीटर तक के लिए रू. 16/-(सोलह रूपये) (बैठान क्षमता 1+4) एवं अनुवर्ती प्रति कि.मी. रू. 8/-(8 रूपये) (ii) शेयर्ड ऑटो (बैठान क्षमता 1+3 एवं 1+4) प्रथम दो कि.मी. के लिए रू. 4/-(चार रूपये) प्रति व्यक्ति प्रति कि.मी. एवं अनुवर्ती प्रति कि.मी. के लिए प्रति व्यक्ति रू. 2/-(दो रूपये)	
3	टेम्पू/विक्रम	टेम्पू/विक्रम (बैठान क्षमता 1+6) प्रथम दो कि. मी. तक 2.50 रू.(दो रूपये पचास पैसे) प्रति व्यक्ति एवं अनुवर्ती प्रति कि.मी. के लिए रू. 1.25/-(एक रूपये पचीस पैसे) प्रति व्यक्ति	
4	मैजिक/समरूप चार पहिया वाहन (मोटर कैब/मैक्सी कैब)	मैजिक/समरूप चार पहिया वाहन (बैठान क्षमता 1+7) प्रथम दो कि.मी. तक 2.50 रू.(दो रूपये पचास पैसे) प्रति व्यक्ति एवं अनुवर्ती प्रति कि. मी. के लिए रू. 1.25/-(एक रूपये पचीस पैसे) प्रति व्यक्ति	

सामान्य शर्तें जिसके अन्तर्गत भाड़े का दर निर्धारित किया जायेगा -

(i) गाड़ियाँ सार्वजनिक स्थान पर नहीं लगायी जायेगी बल्कि 'अनिवार्य रूपेण' जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्टैण्ड पर ही लगायी जायेगी ।

Anyaml

(ii) प्रत्येक वाहन स्वामी/चालक अपने वाहन में किराये/भाड़े की तालिका को सुगोचर ढ़ंग से प्रदर्शित करेंगे ।

(iii) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा Point to Point भाड़ा निर्धारण के क्रम में रूपये के पूर्णांक में भाड़ा का निर्धारण किया जायेगा । यथा यदि तकनिकी रूप से भाड़ा 2.50 रू0 निर्धारित होती है तो उसे 3.00 रू0 निर्धारित किया जायेगा या यदि 2.25 रू0 निर्धारित होती है तो उसे 2.00 रू0 निर्धारित किया जायेगा ।

(iv) निर्धारित भाड़े की दर से कोई अधिक भाड़ा वसूल नहीं करेगा ।

(v) इस भाड़े का निर्धारण निबंधित बैठान क्षमता के आधार पर किया गया है । अतः यदि इस बैठान क्षमता से अधिक यात्री को बैठाया जाता है तो उसे ओवरलोडिंग मानते हुए मोटरवाहन अधिनियम में विहित प्रावधान के आलोक में दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकेगी ।

(vi) उपर्युक्त दर पर Point to Point किराया का निर्धारण सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत ही किया जाय एवं इसे कठोरता से लागू भी किया जाय ।

ह०/- 14/2/13
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक :- 2/सी.एम.टी.-129/2009 ....486.......... दिनांक ..14.02.2013

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई. गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सिडी (CD) सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2. अधिसूचना की 50 (पचास) प्रतियां कार्यालय व्यवहारार्थ इस विभाग को कृपया भेजी जाए।

ह०/- 14/2/13
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक :- 2/सी.एम.टी.-129/2009 ....486.......... दिनांक ...14.02.2013

प्रतिलिपि : सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/चलन्त दस्ता निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- 14/2/13
प्रधान सचिव ।
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक :- 2/सी.एम.टी.-129/2009 ......486........ दिनांक .14.:02.:. 2013

प्रतिलिपि : सभी राज्य के परिवहन आयुक्त/भारत सरकार में सभी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- 14/2/13
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।